भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2000

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की संपरीक्षा

†2000. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच), जिनमें क्षति के प्रारंभिक संकेत दिखाई दिए हैं की कोई राष्ट्रव्यापी संपरीक्षा करवाई है अथवा कराने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल सहित राज्य-वार उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहाँ ऐसी कमियाँ रिपोर्ट की गई हैं;

(ग) क्या सरकार के पास निर्माण के दो वर्षों के भीतर क्षतिग्रस्त हुए राजमार्ग खंडों और उनके ठेकेदारों का डेटाबेस उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस तरह की बार-बार होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरुप हो कार्य-निष्पादन एजेंसियां द्वारा कार्यस्थल पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर- एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। कार्य-निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे कार्यों के पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह महीने में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आंकलन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी निगरानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जाती है। समर्पित केंद्रीय प्रकोष्ठ के माध्यम से संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु विश्लेषण का उपयोग करके सड़क की स्थिति के आंकलन हेतु एनएसवी प्रणाली को नया रूप दिया गया है।

यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे करार/रियायत करार की तकनीकी अनुसूचियों में यथानिर्धारित अनुसार या कार्यनिष्पादन एजेंसी/एई/आईई द्वारा तय की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पहलें की हैं: -

i. एनएच परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल / मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;
ii. राजमार्गों की खराबियों की निगरानी और सुधार के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जो फोटोग्राफ के साथ खराबियों की जियो-टैगिंग को सक्षम बनाता है;
iii. समय-समय पर चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का विश्लेषण;
iv. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक आकलन के लिए चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) की तैनाती;
v. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता संपरीक्षकों की तैनाती।

सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएंडएच) के माध्यम से निर्माण की गुणवत्ता सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों आदि सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के अलावा, लोक शिकायत पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित की है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के अलावा इन शिकायतों का भी संज्ञान लेती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

किसी भी चूक के मामले में अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अनुबंध समझौते को समाप्त करना, जुर्माना/परिसमाप्न क्षतिपूर्ति लगाना, निषेध/काली सूची में डालना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि की जाती है।

कार्य-निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2024-25 सहित) और चालू वित्तीय वर्ष (विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को छोड़कर) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों में बड़ी कमियां पाई गई हैं/क्षति के संबंध में 81 शिकायतें प्राप्त हुई है/ केरल राज्य सहित ऐसी कमियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार विवरण संलग्न है।

इन कमियों/क्षतिओं के सुधार हेतु किए जा रहे आवश्यक सुधारात्मक कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। जहाँ भी लागू हो, संबंधित संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार/रियायतग्राही/प्राधिकरण इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर आदि के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अनुबंध

'नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की संपरीक्षा'' के संबंध में श्री बैन्नी बेहनन द्वारा 31 जुलाई 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2000 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

पिछले पांच वर्षों (2024-25 सहित) और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों में प्रमुख कमियां/क्षति प्राप्त/पाई गई परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार सूची:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	एनएच सं.	परियोजनाओं की लंबाई (किमी में)
1	केरल	06	एनएच-66	205.298
2	आंध्र प्रदेश	04	एनएच-71, एनएच-16, एनएच-9, एनएच-4	199.344
3	बिहार	02	एनएच-31, एनएच-333बी	74.749
4	छत्तीसगढ़	03	एनएच-130, नया एनएच-30	126.525
5	हिमाचल प्रदेश	01	एनएच-22 (नया एनएच-05)	39.139
6	हरियाणा	03	एनएच-48, एनई-4	61.7
7	गुजरात	05	एनई-4,एनएच-754के, एनएच-48	118.713
8	झारखंड	01	एनएच 75	34
9	कर्नाटक	05	एनएच-63, एनएच-48, एनएच-75	347.846
10	अरुणाचल प्रदेश	01	एनएच-713ए और एनएच-13	संरक्षण कार्य
11	महाराष्ट्र	23	एनएच-06 (नया एनएच-53), एनएच-48, एनएच-66, एनएच-160, एनएच-848, एनएच-753एल, एनएच-752जी, एनएच-548सी, एनएच-161ए, एनएच-753एफ, एनएच-752के, एनएच-752एच, एनएच-753, एनएच-160, एनएच-17, एनएच-166जी, एनएच-266	1287.292

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	एनएच सं.	परियोजनाओं की लंबाई (किमी में)
12	राजस्थान	12	एनई-4, एनएच-754के, एनएच-148एन, एनएच-65, एनएच-89	325.173
13	तेलंगाना	01	एनएच-161	48.963
14	उत्तर प्रदेश	03	लखनऊ रिंग रोड, एनएच-76	92.618
15	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	02	एनएच 74	165.709
16	उत्तराखंड	02	एनएच-125, एनएच-134 (पुराना एनएच-94)	44.589
17	पश्चिम बंगाल	03	एनएच-32, एनएच-6, एनएच-34	166.435
18	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02	एनएच 4	25 किमी, 4 छोटे पुल
19	मिजोरम	01	एनएच-154 (नया एनएच-6)	27.98
20	त्रिपुरा	01	एनएच-208	25.6

*****